A/II-1835-I/16

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर

काजी ज़ियाउद्दीन पिता स्व. श्री अजमुद्दीन
निवासी ग्राम बरौली थाना अजयगढ़,
जिला पन्ना (म.प्र.) ....अपीलार्थी

//विरूद्ध//

श्रीमती कुलसुंमा खातून पुत्री सैयद मिन्हाजुद्दीन,
पत्नी सैनिक हवलदार श्री सैयद अब्दुल मलिक
निवासी ग्राम बरौली थाना अजयगढ़,
जिला पन्ना (म.प्र.) ....प्रतिअपीलार्थी

अपील अंगतर्गत म.प्र. पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 36(आ) के तहत्

उपरोक्त अपीलार्थी न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर (म.प्र.) के प्रकरण क्रमाँक 575 /अ–89/15–16 में पारित आदेश दिनांक 26/05/16 से परिवेदित होकर यह अपील निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है :–

1. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, प्रतिअपीलार्थी द्वारा झूठे तथा फर्जी शपथपत्र के आधार पर जाति प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। जिसके आधार पर सरपंच का पद अर्जित कर लिया है प्रतिअपीलार्थी के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी अजयगढ़ द्वारा भा.द.सं. की धारा–181, 193, 197, 198, 200, 468, 471 के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 346/15 आदेश दिनांक 20/11/15 पंजीबद्ध किया गया है। जिसके अधार पर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 36 के तहत प्रतिअपीलार्थी को पद से पृथक करने बावत् आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें सम्मानीय न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रकरण के निराकरण का आधार लेते हुए कार्यावाही समाप्त किये जाने से यह अपील विधिवत रूप अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत की थी जिन्होंने

पारित आदेश की पुष्टि किए जाने से यह अपील विधिवत अधिनियम की धारा 36(आ) के तहत श्रीमान को क्षेत्राधिकार होने से प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि, प्रतिअपीलार्थी तथ्यों को छुपाकर भ्रष्ट आचरण अपनाकर पदधारी हुई है तथा पदासीन रहते हुए न्यायालय से फरार रहकर पंचायत की राशि का आहरण कर राशि का गवन कर रही है इस कारण न्यायालय कलेक्टर पन्ना द्वारा लिया गया आधार मान्य योग्य नहीं है कि प्रकरण न्यायालय में लंबित है क्योंकि समक्ष न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाने के उपरांत उसे आहूत किया जाने पर न्यायालय में उपस्थित न होकर फरार

R 1835-I/16 पन्ना

08/3/19.- आवेदन काजी नियाउद्दीन की ओर से अधि. श्री अजय श्रीवास्तव उपस्थित के द्वारा आवेदन देकर प्रकरण समाप्त किया जाने का अनुरोध किया है।

8/3/2019

- आवेदन स्वीकार कर प्रकरण इसी Stage पर समाप्त किया जाता है।

8/3/19